रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/9

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 1998/वैशाख 11, 1920
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 1998/VAISAKHA 11, 1920

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

टैरिफों में कमी—इंटरनेट लीज्ड लाइन पोर्टों और इंटरनेट के लिए लीज्ड लाइनों पर

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1998

सं 301-1/97-वित्त.—1. संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने. टी आर ए आई अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम सं. 24) की धा 11 की उप-धारा 2 के तहत, इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) से अनुरोध किया था कि विभिन्न क्षमताओं के इंटरनेट लीज्ड लाइन पोर्टों के टैरिफ में, निम्नलिखित के अनुसार कमी कर दी जाए :

पोर्टों की गति (स्पीड)	वार्षिक प्रभार (लाख रुपए)	
	वर्तमान	संशोधित
(1)	(2)	(3)
2.4 के बी पी एस	1.5	1.1
9.6 के बी पी एस	6.0	4.5
64 के बी पी एस	12.0	8.0
128 के बी पी एस	18.0	13.0
256 के॰बी पी एस	25.0	18.0
512 के बी पी एस	36.	26.0
1 एम बी पी एस	60.0	43.0
2 एम बी पी एस	100.0	72.0

64 के बी पी एस पोर्ट पर लागू, 10,000/-रु. के संस्थापना और परीक्षण प्रभार, 2 एम बी पी एस तक की आंकड़ा दरों वाले पोर्टों पर भी लाग होंगे।

मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं/संगठनों/समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों के लिए 64 के बी पी एस लीज्ड पोर्टों का टैरिफ, 4 लाख रुपये प्रतिवा की दर से लिया जाता रहेगा, लेकिन, 64 के बी पी एस के गुणजों में, अधिक गतियों के मामले में, टैरिफ का प्रभार एन × 64 के बी पी एस होगा जहां एन वह गुणन कारक (मल्टी प्लीकेशन फैक्टर) है जो वांछित गति के लिए आवश्यक है। जब भी, एन × 64 के बी पी एस टैरिफ लागू करने पर प्रभार, समान पोर्ट गति के प्रोत्साहन टैरिफ से अधिक होगा तो दोनों में से कम वाला प्रभार लिया जाएगा ।

1183 GI/98

साफ्टवेयर निर्यातकों और शतप्रतिशत निर्यातक इकाइयों को देय वर्तमान 20 प्रतिशत रियायत, नए टैरिफों पर लागू रहेगी।

2. उपर्युक्त के ही सिलसिले में, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवाओं और साफ्टवेयर निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, लीज्ड लाइनों के टैरिफ में भी कमी का प्रस्ताव किया है। इंटरनेट कनेक्शनों के लिए और साफटवेयर निर्यातकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सर्किट के राष्ट्रीय खंड व घरेलू लीज्ड लाइनों के किरायों पर, बीस प्रतिशत रियायत का प्रस्ताव है।

3. टी आर ए आई ने पहले 16 दिसम्बर 1997 को भारत के राजपत्र (असाधारण सं. 60) के भाग-3 खंड-4 (17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित) उस इंटरनेट टैरिफ को अधिसूचित किया था जो दूरसंचार विभाग तथा विदेश संचार निगम लि. द्वारा, टी सी पी/आई पी डायल अप सेवाओं के लिए अनंतिम रूप से लिया जाएगा। इस संशोधन का आधार दूरसंचार विभाग द्वारा भेजा गया एक प्रस्ताव था। इंटरनेट टैरिफ पर प्रस्तावित कमी के बारे में एक परामर्श-पत्र (सं. 97/2) टी आर ए आई द्वारा 18 नवंबर, 1997 को जारी किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावित टैरिफ के ढाँचे पर संबंधित या रूचि रखने वाले पक्षों के विचार मांगे गए थे। इसके बाद, इस विषय पर 4 दिसम्बर, 1997 को खुले मंच पर विचार विमर्श किया गया था। इस खुले मंच के दौरान, दूरसंचार विभाग ने टी आर ए आई को, लीज्ड लाइनों और पोर्ट प्रभारों (चार्जेज) को कम करने वाले संशोधन के एक भावी प्रस्ताव के बारे में बताया था। 1-1-98 से प्रभावी इंटरनेट टी सी पी/आई पी डायल अप सेवाओं के लिए संशोधित अनंतिम टैरिफ को अधिसूचित करते समय, टी आर ए आई द्वारा, इस प्रस्ताव को ध्यान में रखा गया था।

4. चूंकि दूरसंचार विभाग के प्रस्तावों में यह बात निहित है कि वर्तमान टैरिफों में कमी की जाए, अत: टी आर ए आई ने दूरसंचार विभाग द्वारा सुझाए गए, स्पीड पोर्टों और लीज्ड लाइनों के लिए प्रस्तावित टेरिफ, अनंतिम आधार पर व उपभोक्ताओं के हित में, स्वीकार करने का निर्णय लिया है । यह स्वीकृति टी आर ए आई में चल रही समग्र पुन: संतुलन प्रक्रिया के तहत है जिसके लिए 4 नवम्बर, 1997 को अलग से एक परामर्श-पत्र (सं. 97/1) जारी किया गया है।

5. इसलिए, टी आर ए आई अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा 2 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, टी आर ए आई आम जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि, दूरसंचार विभाग अनंतिम रूप से, इंटरनेट लीज्ड लाइन पोर्टों के लिए ऊपर पैराग्राफ-1 में दिए गए संशोधित टैरिफ लेगा। ये संशोधित टैरिफ 1-1-98 से पूर्वव्यापी तौर पर, एवं अगले आदेशों तक लागू होंगे। इसी प्रकार, लीज्ड लाइनों के बारे में ऊपर पैरा 2 में दिए गए संशोधित टैरिफ 1-1-98 से पूर्वव्यापी तौर पर, एवं अगले आदेशों तक, लागू होंगे।

राकेश कपूर, संयुक्त सचिव (वाणिज्य)

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Reduction in Tariffs—Internet Leased Line Ports and Leased lines for Internet

New Delhi, 29th April, 1998

No. 301-1/97-Fin.—1. The Ministry of Communications, Department of Telecommunications (DOT), approached the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) under Sub-Section 2 of Section 11 of the TRAI Act, 1997 (Act No. 24 of 97) for reduction in tariff in respect of Internet Leased line Ports of various capacities, as detailed below, with a view to promoting Internet Services:

	ANNUAL CHARGES (Rs. Lakh)	
Speed of the Port	Existing	Revised
(1)	(2)	(3)
2.4 Kbps	1.5	1.1
9.6 Kbps	6.0	4.5
64 Kbps	12.0	8.0
128 Kbps	18.0	13.0
256 Kbps	25.0	18.0
512 Kbps	36.0	26.0
1 Mbps	60.0	43.0
2 Mbps	100.0	72.0

Installation and testing charges of Rs. 10,000/- as applicable for 64 Kbps port will also apply to Ports with data rates upto 2 Mbps.

Tariff of 64 Kbps leased ports for recognised educational institutions/organisations/news papers/news agencies, will continue to be charged @ Rs. 4 lakh per annum. However, for higher speeds in multiples of 64 Kbps, tariff will be charged at tariffs N× 64 Kbps where N is the multiplication factor to arrive at the desired speed. Wherever the charge by applying N × 64 Kbps tariff becomes higher than the promotional tariff of the same port speed, lower of the two shall be charged.

The existing concession of 20% to software exporters and to 100% EOUs will continue to be applicable on the new

tariffs.

2. In continuation of the above, the DOT has also proposed a reduction in the tariff for leased lines for promoting Internet service as well as software exports. For Internet connections and for software exporters, a concession of twenty percent is proposed on the rental for the National segment on the International circuit and domestic leased lines.

3. TRAI had earlier notified on December 16, 1997 in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary No. 60) {published on December 17, 1997} the Internet Tariff to be charged by the DOT and VSNL on a provisional basis for TCP/IP dial up service. This revision was based on a proposal received from the DOT. A Consultation Paper (No. 97/2) on the proposed reduction in Internet Tariff was issued by TRAI on Nov. 18, 1997, seeking the views of interested parties on the proposed tariff structure. This was followed by an Open House Session, on December 4, 1997. During the Open House Session DOT informed the TRAI about its forthcoming proposals for downward revision of leased line and port charges. This was taken note of by the TRAI while notifying the revised provisional tariff for Internet TCP/IP dial-up services made effective from 1-1-98.

4. Since the proposals of the DOT involve reduction in the existing tariff, TRAI has decided to accept the proposed taariff for speed ports and leased lines suggested by the DOT in consumer interest on a provisional basis, pending its further examination as a part of overall rebalancing exercise now underway in TRAI, for which a separate Consultation Paper (No. 97/1) has been issued on November 4, 1997.

5. Now, therefore, in exercise of powers vested in it under Sub-section 2 of Section 11 of the TRAI Act,TRAI hereby notifies for a general information that DOT will provisionally charge the revised tariffs for Interent Leased Line Ports indicated in paragraph 1 above. This revised tariff will be applicable retrospectively with effect from 1-1-98 until further orders. Similarly, the revised tariff in respect of leased lines as mentioned in Para 2 above would be applicable retrospectively w.e.f. 1-1-98 until further orders.

RAKESH KAPUR, Jt. Secy. (Commercial)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.